संख्या- 216 /2023 / 1219 /चार-2023

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 16 जून, 2023

विषय:-भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ में दिनांक 18.04.2001 के पूर्व से कार्यरत शिक्षकों/कार्मिकों के सेवानैवृत्तिक देयों-पेंशन आदि के भुगतान की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया कुलसचिव, भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या- 49/बी0एस0वि0वि0-01(13)/2010 दिनांक 25 अप्रैल, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ (भातखण्डे संगीत संस्थान अभिमत विश्वविद्यालय, लखनऊ) में दिनांक 18.04.2001 के पूर्व पूर्ण शासकीय स्वरूप में कार्यरत शिक्षकों/कार्मिकों को सेवानैवृत्तिक देयों- पेंशन आदि के भुगतान हेतु रू0 4,22,38,995.00 (रूपये चार करोड़ बाइस लाख अड़तिस हजार नौ सौ पिचानवे मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

(1) शासनादेश संख्या- 1433/चार-2022 दिनांक 25 जुलाई, 2022 में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत भातखण्डे संगीत संस्थान अभिमत विश्वविद्यालय, लखनऊ की आय-नगण्य होने के दृष्टिगत, भातखण्डे संगीत संस्थान अभिमत विश्वविद्यालय (सम्प्रति भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय), लखनऊ के कार्मिकों को सेवानैवृत्तिक देयों-पेंशन आदि के भुगतान के संबंध में दिनांक 18.04.2001 के पूर्व पूर्ण शासकीय स्वरूप में कार्यरत कार्मिकों के पेंशनरी अंशदान का वहन राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले जिन कार्मिकों का पेंशनरी अंशदान दिया जाना है, उसका वहन भातखण्डे संगीत संस्थान अभिमत विश्वविद्यालय (सम्प्रति भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय) लखनऊ द्वारा अपने स्रोतों से किया जायेगा।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) संस्कृति निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण / उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. उपर्युक्त स्वीकृति से संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या- 92- आयोजनेत्तर पक्ष के 2205-कला एवं संस्कृति -800- अन्य व्यय -03- भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ के दिनांक 18.04.2001 के पूर्व के कार्मिकों के सेवानैवृत्तिक देयों हेतु पेंशनरी अंशदान - 20- सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग से अशासकीय संख्या- ई-7-33 /दस-2023-24 दिनांक 14 जून, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या - 216 /2023 / 1219(1) /चार-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- कुलपति, भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
5- निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3/ वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।